संसदीय कार्य मंत्रालय

बजट सत्र, 2023 के संबंध में प्रेस विज्ञप्ति

संसद का बजट सत्र, 2023, जो मंगलवार, 31 जनवरी, 2023 से आरंभ हुआ था, आज अर्थात गुरूवार, 6 अप्रैल, 2023 को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। बीच में राज्य सभा और लोक सभा को सोमवार, 13 मार्च, 2023 को पुनः समवेत होने के लिए सोमवार, 13 फरवरी, 2023 को मध्यावकाश के लिए स्थगित कर दिया गया था ताकि विभागों संबंधी स्थायी समितियां विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों की जांच कर सकें और अपनी रिपोर्ट दे सकें।

2. बजट सत्र के पहले भाग के दौरान, लोक सभा और राज्य सभा की कुल 10 बैठकें हुई। सत्र के दूसरे भाग के दौरान, दोनों सदनों की 15 बैठकें हुई। पूरे बजट सत्र के दौरान, कुल 25 बैठकें हुई।

3. यह वर्ष का पहला सत्र होने के नाते, माननीय राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद 87(1) की शर्तों के अनुसार, 31 जनवरी, 2023 को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित किया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव लोक सभा में श्री चन्द्र प्रकाश जोशी द्वारा प्रस्तावित और डॉ. उदय प्रताप सिंह द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 13 घंटे 44 मिनट का समय लिया गया। राज्य सभा में इसे डॉ. के. लक्ष्मण द्वारा प्रस्तावित और श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा अनुमोदित किया गया। इस मद पर राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 12 घंटे 42 मिनट का समय लिया गया। सत्र के पहले भाग के दौरान दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्तावों पर चर्चा की गई और माननीय प्रधान मंत्री के जवाब के बाद उन्हें स्वीकृत किया गया। लोक सभा में 143 सदस्यों ने और राज्य सभा में 48 सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा में भाग लिया।

4. वर्ष 2023-24 का केंद्रीय बजट बुधवार, 1 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत किया गया। केंद्रीय बजट पर दोनों सदनों में सामान्य चर्चा सत्र के पहले भाग के दौरान हुई। इस मद पर लोक सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 14 घंटे 45 मिनट का समय लिया गया और राज्य सभा में आबंटित 12 घंटे के स्थान पर 2 घंटे 21 मिनट का समय लिया गया। लोक सभा में 145 सदस्यों ने और राज्य सभा में 12 सदस्यों ने इस विषय पर चर्चा में भाग लिया।

5. लोक सभा में निरंतर व्यवधान के कारण विभिन्न मंत्रालयों जैसे रेल, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, जनजातीय कार्य, पर्यटन, संस्कृति और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की अनुदान मांगों को नहीं लिया जा सका। अंत में गुरुवार, 23 मार्च, 2023 को मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को सदन के मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 23.03.2023 को ही लोक सभा में पुरःस्थापित, विचार और पारित किया गया। वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों के दूसरे और अंतिम बैच; जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों और वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों की स्वीकृति के पश्चात इनसे संबंधित विनियोग विधेयकों को लोक सभा में 21.03.2023 को पुरःस्थापित, विचार और पारित किया गया। वित्त विधेयक, 2023 लोक सभा द्वारा 24.03.2023 को पारित किया गया।

6. राज्य सभा में, कौशल विकास और उद्यमशीलता, वस्त्र, मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी, ग्रामीण विकास, सहकारिता, रेल और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयों के कामकाज पर सदन में निरंतर व्यवधान के कारण चर्चा नहीं हो सकी। राज्य सभा ने जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों और वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों; केंद्र के संबंध में वर्ष 2022-23 की अनुपूरक अनुदान मांगों और वर्ष 2023-24 की अनुदान मांगों से संबंधित विनियोग विधेयकों को दिनांक 27.03.2023 को लौटा दिया। वित्त विधेयक, 2023 को भी राज्य सभा द्वारा 27.03.2023 को सरकार द्वारा दिए गए संशोधन की सिफारिश के साथ लौटाया गया था, जिसे लोक सभा द्वारा

27.03.2023 को ही स्वीकार कर लिया गया था। इस प्रकार संसद के सदनों में संपूर्ण वित्तीय कार्य 31 मार्च, 2023 से पहले पूरा कर लिया गया।

7. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने के लिए "वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023" नामक एक विधेयक, जो उक्त अधिनियम के उपबंधों की प्रयोज्यता में अस्पष्टता को दूर करने, गैर-वन क्षेत्रों में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने और वनों को संरक्षित करने की परिकल्पना करता है, को लोक सभा में इसके पुर:स्थापन के पश्चात दोनों सदनों में प्रस्ताव स्वीकृत होने पर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास भेजा गया।

8. भारत में प्रतिस्पर्धा विनियमन को सुदृढ़ करने का उपबंध करने वाले प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023 को भी इस सत्र के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किया गया।

9. इस सत्र के दौरान, कुल 8 विधेयक (लोक सभा में) पुर:स्थापित किए गए। लोक सभा द्वारा 6 विधेयक पारित किए गए और राज्य सभा द्वारा 6 विधेयक पारित किए/लौटाए गए। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयकों की कुल संख्या भी 6 है।

10. लोक सभा में पुर:स्थापित विधेयकों, लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयकों, राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयकों और दोनों सदनों द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयकों की सूची अनुबंध के रूप में संलग्न है।

11. बजट सत्र, 2023 के दौरान, लोक सभा की उत्पादकता लगभग 34% और राज्य सभा की उत्पादकता लगभग 24% रही।

***

अनुबंध

17वीं लोक सभा के 11वें सत्र और राज्य सभा के 259वें सत्र (बजट सत्र, 2023) के दौरान निष्पादित विधायी कार्य

I. लोक सभा में पुरःस्थापित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2023
2. अंतर-सेवा संगठन (कमान, नियंत्रण और अनुशासन) विधेयक, 2023
3. जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
4. जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023
5. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023
6. विनियोग विधेयक, 2023
7. वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023
8. तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2023

II. लोक सभा द्वारा पारित किए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2023
2. जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
3. जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023
4. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023
5. विनियोग विधेयक, 2023
6. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023

III. राज्य सभा द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2023
2. जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
3. जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023
4. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023
5. विनियोग विधेयक, 2023
6. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023

IV. संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किए/लौटाए गए विधेयक

1. वित्त विधेयक, 2023
2. जम्मू-कश्मीर विनियोग विधेयक, 2023
3. जम्मू-कश्मीर विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023
4. विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2023
5. विनियोग विधेयक, 2023
6. प्रतिस्पर्धा (संशोधन) विधेयक, 2023

***